

संख्या: 2107 / 79-5-2010

प्रति,

डी०के० सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

प्रति,

अपर राज्य परियोजना निदेशक
सो प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक : 13 अगस्त, 2010

विषय: नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर एवं चन्दौली में शिक्षानित्री की नियुक्ति पर रोक हटाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-शि०मि०/अ०रा०प०दि०/2026/2010-11, दिनांक 15-7-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित सर्व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 01.4.10 से लागू हो जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या-1429/79-5-10 दिनांक 2-6-10 द्वारा शिक्षा नित्री की कमी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है, परन्तु नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर एवं चन्दौली में शिक्षकों की कमी के कारण पठन-पाठन प्रभावित होने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त जनपदों में शिक्षानित्री की नियुक्ति पर लगाई गयी रोक को एक वर्ष के लिए हटाये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2-- शासनादेश संख्या-1429/79-5-10 दिनांक 2-6-10 इस सीमा तक संशोधित रसदना जाय ।

भवदीय,

(डी०के० सिंह)
विशेष सचिव

10D:07

ASAD
10/8/10

Dr. Meena Sharma
13/8/10

APP
14/8/10